सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248006
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक ५३८४/ उ0सू0आ0/2023–24 दिनांक २६.७. 2023

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्रथम अपील की सुनवाई में अनुरोधकर्ता का पक्ष दूरभाष/मोबाइल के माध्यम से सुनने का अनुरोध किये जाने पर भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा उन्हें बिना सुने ही प्रथम अपील का निस्तारण कर दिया जाता है। जबकि राज्य की भौगौलिक स्थिति को देखते हुए, प्रथम अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षित है कि अपवाद स्वरूप यदि किसी कारणवश अपीलकर्ता स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है और उनके द्वारा दूरभाष/मोबाइल के माध्यम से उन्हें सुने जाने का अनुरोध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुरोधकर्ता का पक्ष दूरभाष/मोबाइल सुनते हुए, प्रथम अपील का निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के तहत किया जाना चाहिए।

आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई हेतु तिथि प्रदान किये जाने पर उनके द्वारा नियत तिथि व समय पर प्रथम अपील की सुनवाई नहीं की जाती है और न ही उसकी सूचना अनुरोधकर्ता और लोक सूचना अधिकारी को प्रदान की जाती है। जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी को समय रहते इसकी सूचना पक्षकारों को देनी चाहिए। यदि किसी कारण वश ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है तो अनुरोधकर्ता के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होने पर उन्हें नियत तिथि व समय पर प्रथम अपील की सुनवाई नहीं की जा सकेगी के कारण से अवगत कराते हुए, उन्हें पुनः प्रथम अपील की सुनवाई में कार्यालय में उपस्थित न होना पड़े, इस हेतु उनका पक्ष लिखित में अथवा यदि अनुरोधकर्ता सहमत हो तो दूरभाष के माध्यम से पक्ष सुने जाने का आग्रह किया जाना चाहिए। यदि अनुरोधकर्ता अगली सुनवाई की तिथि को उपस्थित रहने हेतु सहमत है तो अगली सुनवाई की तिथि प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे अनुरोधकर्ता का दूरभाष/मो0न0 यदि अनुरोधकर्ता को प्रदान करने में कोई असुविधा न हो तो प्राप्त कर लिया जाना चाहिए जिससे पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें दूरभाष/मो0न0 पर सूचित किया जा सके।

कृपया विभागों में नामित समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रथम अपील के निस्तारण के समय उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त